

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad, DIST. BHIND (M.P.)

Name and address of the Complainant..... S. S. S. S. S.

~~संज्ञित~~ ~~द्वारा~~ विचार्यता है कि उक्त ५ वीं
विषयों में से एक।

आपने दिनांक 23-9-17 को समय लगभग 1:30 बजे स्थान अर्गत थाना में वाहन को बिना के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196-47 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिस्था चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class

The plea of the accused and his examination (If any) **Gohad dist. Bhind (M.P.)**

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

Judicial Magistrate First Class

श्री गौरी गणेश देव (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 26-7-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 MVA के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी सज्जित को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 MVA के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमषः राशि रुपये 1000/- कुल 20 हजार 2 सैकड़ (रु०) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन भारत गैरिफिक को MP30BB 0761 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित


Judicial Magistrate, First Class
Muzaffargarh District, Punjab (M.P.)